प्रकाशन का 45 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 45 अंक 6 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 03 – 10 फरवरी 2020 मूल्य पांच रूपए

उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद फ्राड के 3237 मामलों पर अभी तक कारवाई नही

यह है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरैन्स

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में नौतोड़ भूमि आवंटन के नियमों को अंगूठा दिखाते हुए 5769 लोगों को नौतोड़ आंवटन कर दिया गया है। नौतोड़ का यह मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में CWP No. 9859 of 2013 में समाने आया है जिसमें दायर हुए मुख्य सचिव के शपथपत्र के माध्यम से अदालत में यह तथ्य आया है कि 5769 लोगों को यह आवंटन नियमों के विरूद्ध हुआ है। अदालत में नौतोड़ निमयों पर विस्तार से हुई चर्चा में यह स्पष्ट आया है कि ऐसे आवंटन के लिये वही व्यक्ति पात्र होगा जिसकी आय सारे साधनों से 2000 रूपये वार्षिक से अधिक नही होगी। लेकिन इस आवंटन के लाभार्थी 3237 सरकारी कर्मचारी भी पाये गये हैं। बिलासपुर – 425, लाहूल स्पिति – 537, चम्बा – 656, मण्डी – 198, किन्नौर – 534, शिमला – 848 और कुल्लु में 44 कर्मचारियों ने नौतोड़ नियमों के तहत यह आवंटन हासिल कर रखा है। स्वभाविक है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की वार्षिक आय दो हजार से कम नही हो सकती है चाहे वह 400 रूपये ही प्रति माह क्यों न ले रहा हो। ऐसा लाभ तथ्यों की सही जानकारी न देने से ही लिया जा सकता और तथ्यों को छिपाना फ्राड की श्रेणी में आता है। ऐसे फ्राड का संज्ञान होने पर तीन वर्ष के भीतर उसके खिलाफ कारवाई की जानी आवश्यक है और यह कारवाई किसी की शिकायत आने के अतिरिक्त संबद्ध स्वत: संज्ञान लेकर भी कर सकता है। इस संद्धर्भ में अदालत ने स्पष्ट कहा है कि of this court in [Mangheru Vs-State of Himachal Pradesh and others] ILR 1981 Vol-X 283 has held that Article 56 of the Limitation Act lays down a limitation of three years from the date of the knowledge of fraud and the court was of the opinion that it would be reasonable to lay down that ordinarily within a period of three years from the date of knowledge of fraud the suo motu powers can be exercised - Their Lordships have further held that arbitration clause cannot take away the suo motu powers of review and revision granted to various authorities– Their Lordship have held as under: Now there is no disputed that the peculiar facts and circumstances of each case should determine a reasonable time For example if a grantee has suppressed material its or has obtained the allotment by playing a fraud or a deception the reasonable time will have to be determined with reference to the time when the fraud or deception came to light – Various cases where a party had concealed material facts and succeeded in obtaining the allotment have come to our notice- We cannot all a party to reap the fruits of his deception or fraud simply on the ground that it had successfully kept them concealed over a sufficiently long period of time- However once the fraud is uncovered then action is required to be taken within a reasonable time thereafter–Article 56 of the Limitation Act. lays down a limitation of three years from the date of the knowledge of fraud and we are not the opinion that it will be reasonable to lay down that ordinarily within a period of three years from the date of knowledge of fraud the suo motu powers can be exercised.

तथ्यों को छुपाकर हासिल की गयी नौतोड़ भूमि को लेकर उच्च न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिये थे कि वित्तायुक्त अपील 5769 मामलों का रिकार्ड तलब करके यह देखेंगे कि कितने सरकारी कर्मचारियों ने ऐसी ज़मीन हासिल की है जिनकी आय दो हजार रूपये वार्षिक से अधिक है। ऐसी ज़मीने बिना किसी मुआवज़े के सरकार को चली जायेंगी। यदि ऐसी कोई ज़मीन सरकार ने किसी उद्देश्य के लिये अधिग्रहण कर ली है और उसका मुआवज़ा संबद्ध व्यक्ति को दिया गया है तो ऐसा मुआवज़ा उस व्यक्ति से 9% ब्याज सहित वापिस लिया जायेगा। यह सारी कारवाई एक वर्ष के भीतर पूरी की जानी थी और इसके लिये दो और वित्तायुक्त अपील नियुक्त किये जाने थे। Accordingly the writ petition is dismissed however in larger public interest the following mandatory directions are issued to the state Government:

1. The Financial Commissioner appeals is directed to call for the records of 5769 case in which the Government employees have been granted Nauator land under The Himachal Pradesh Nautor land rules 1968 whose income was more than 2000 /& per annum at the time of submission of application it is made clear by way of abundant precaution that the records of all the cases shall be called whether the land has been allotted under The Himachal Pradesh Nautor land Rules 1968 before or after 17-08-1990.

2. The Financial Commissioner (Appeals) shall decide all the revisions within a period of one year from today after hearing the parties and shall pass detailed / speaking orders in all the cases in which grant of Nautor land was found to be in violation of The Himachal Pradesh Nautor Land Rules 1968 thereafter. The possession shall be resumed within a period of eight weeks after resumption/cancellation of the grant of Nautor Land to allottees.

3. If the Financial Commissioner comes to the conclusion that the Nautor Land has been granted for horticulture, agriculture, construction of any building subservient to agriculture, thashing floor, water mill, water channel, construction of a building for residence, consolidation of holdings and for public purposes like construction of Dharamsala etc. in violation of the Himachal Pradesh Nautor Land Rules, 1968, the same shall vest in the stste of himachal Pradesh free from all encumbrances and these persons shall not be entiled to any compensation.

4. Since the Financial Commissioner (Appeals) has to deal with 5769 cases respondent & state is directed to appoint/post two more Financial Commissioner(Appeals) to hear the revisions within a period of six weeks from today.

5. It is made clear that in all the cases where the land has been allotted /granted to the Government employees in breach of the Himachal Pradesh Nautor Land Rules 1968 and the same has been acquired under the land Acquisition Act. in those cases also the amount received by the allottees/grantees shall be refunded to the state Government with interest @9% per annum.

उच्च न्यायालय में यह मामला 2013 में आया था और इस पर 25.6. 2015 को फैसला सुना दिया गया था। लेकिन आज तक इस पर कोई कारवाई अमल में नही लायी गयी है। इसमें 3237 तो सरकारी कर्मचारी ही थे जो किसी भी गणना में इसके पात्र नही थे। उनके खिलाफ कारवाई की जानी थी। जब सरकार ने वनभूमि पर हुए अवैध कब्जों के 2530 मामलों में कारवाई करते हुए 10,203 बीघे भूमि ऐसे कब्जाधारकों से वापिस ले ली है तो इन 5769 में कारवाई क्यों नही की गयी है यह सवाल चर्चा में आ गया है। तथ्यों को छुपाकर लिया गया लाभ फ्राड की श्रेणी में आता है और फ्राड के खिलाफ संज्ञान से तीन वर्ष के भीतर कारवाई की जानी होती है। इस मामले में जब जून 2015 में फैसला आ गया तो उसी तारीख से संज्ञान होना शुरू हो जाता है। इस मामले में जून 2018 को तीन वर्ष हो जाते हैं। इसमें प्रतिवादी सीधे सरकार थी और मुख्य सचिव के शपथपत्र अदालत में दायर हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह मामला सरकार के संज्ञान में था। तथ्यों को छुपाकर लाभ हासिल करने का मामला राजकुमार राजिन्द्र सिंह बनाम एसजेवीएनएल में भी सामने आया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 2018 में आया है और फैसला फ्राड को केन्द्र में रखकर दिया गया है। इसमें दिये गये लाभ को 12% ब्याज सहित तीन माह में वापिस लेने के आदेश है। इसमें केवल एसजेवीएनएल के संद्धर्भ में ही कारवाई की जा रही है जबकि सरकार ने अन्य विभागों/कार्यो के लिये राजकुमार राजिन्द्र सिंह की ज़मीनों का अधिग्रहण किया है और मुआवज़ा दिया है।

अब इन दोनों मामलों को इक्ट्ठा रखकर देखते हुए यह उभरता है कि जयराम सरकार फ्राड के इन मामलों पर कारवाई नही करना चाहती है या अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग सरकार को इन मामलों में गुमराह कर रहा है। क्योंकि इन मामलों की कारवाई करने का दायित्व इसी सरकार पर आता है।

राज्य लोक सेवा आयोग की ई–गवर्नेंस परियोजना की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लागू किए गए ई–गवर्नेंस पायलट प्रोजेक्ट को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे

हिमाचल के बाद देश के अन्य 28 लोक सेवा आयोगों में भी लागू किया जाएगा।

राज्यपाल ने राज्य लोक सेवा आयोग के दौरे के दौरान आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि ई–गवर्नेंस पायलट प्रोजेक्ट भारत सरकार के इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय ने वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को मंजूर किया था। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित इस प्रोजेक्ट को आयोग ने तीन वर्षों में पूरा करना है। यह हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि राज्य को यह प्रोजेक्ट मिला। उन्होंने कहा कि आयोग को इस प्रोजेक्ट को अधिक कारगर बनाने के लिए दूसरे राज्यों से भी परामर्श लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के लागू होने से आयोग के सभी कार्य ऑनलाईन होंगे।

राज्यपाल ने आयोग द्वारा अपनाई गई आधुनिक भर्ती प्रक्रिया और पारदर्शिता के लिए आयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि मोबाईल आधारित आवेदन, शिकायत निवारण आवेदक चर्चा कक्ष, मई 2018 से लागू किए गए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, आयोग के परिसर में सर्वर आधारित निजता और मई 2018 से शुरू किए गए 'माई एक्जामिनेशन, माई ऑनलाईन रिव्यू' विशेष रूप से बेहतर निर्णय हैं। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा अप्रैल, 2018 में 'वन टाईम रजिस्ट्रेशन' लागू करना एक अच्छा कदम है, जिससे अभ्यर्थियों को अच्छी सुविधा प्राप्त होगी।

उन्होंने अन्य राज्यों के आयोगों की बेहतर पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन करने का सुझाव दिया, ताकि इन्हें हिमाचल प्रदेश में भी लागू किया जा सके। राज्यपाल ने आयोग की वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की।

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल डीवीएस राणा ने राज्यपाल को आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में अवगत करवाया और आयोग की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान आयोग ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिससे न केवल आयोग की कार्यप्रणाली सुदृढ़ होगी, बल्कि अभ्यर्थी भी लाभान्वित होंगे। आयोग की वन टाईम रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत अब तक नौ लाख अभ्यर्थी पंजीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, पात्र उम्मीदवारों को उनके मोबाईल पर संदेश भेजा जा रहा है।

इससे पूर्व, आयोग के कार्यालय में पहुंचने पर सदस्य मीरा वालिया, सचिव राखिल काहलों, संयुक्त सचिव एकता काप्टा और अन्य अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन जन कल्याण की दिशा में एक अच्छी पहल

शिमला/शैल। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन–1100 की सराहना करते हुए इसे जन कल्याण की दिशा में एक

अच्छी पहल बताया है। उन्होंने कहा कि अल्पावधि में ही यह हेल्पलाईन जन शिकायतों के निवारण में कारगर सिद्ध हुई है और आंकड़े स्वयं इसकी सफलता को बयान करते हैं।

राज्यपाल ने इस नवीन पहल को समझने के लिए शिमला के समीप टूटीकंडी स्थित आई.एस.बी.टी. स्थित पार्किंग भवन में ''मुख्यमंत्री हेल्पलाइन'' कार्यालय का दौरा किया और वहां कार्यरत स्टाफ से इस संबंध मे विस्तृत जानकारी हासिल की। उन्होंने प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां आधुनिक तकनीक का जन शिकायत निवारण में पूर्ण उपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पंजीकृत कॉल को सिस्टम द्वारा संबंधित विभाग को सौंपना तथा खण्ड, तहसील, जिला और राज्य स्तर पर शिकायत प्रणाली की योजना बड़े ही प्रभावशाली तरीके से तय समय सीमा पर निपटाकर लोगों को राहत देकर अच्छा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद ही शिकायत को बंद किया जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकार की पहल निश्चित तौर पर प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहायक है। राज्यपाल ने इस हेल्पलाइन को और प्रभावशाली बनाने के लिए अपने सुझाव भी दिए।

प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए पक्षी महोत्सव का आयोजन

शिमला/शैल। पोंग झील वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इस झील और आसपास के क्षेत्र सौ से अधिक प्रवासी व स्थानीय प्रजातियों के लाखों पक्षियों का गंतव्य है। इसी कारण, पोंग डैम झील बर्ड वॉचर, शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और पर्यटकों के घूमने एवं शोध के लिए लोकप्रिय स्थानों में एक बन गया है।

पक्षियों के संरक्षण के मुद्दों पर स्थानीय लोगों, छात्रों, युवाओं और पर्यटकों को शिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए पहली बार अभ्यारण्य क्षेत्र के नगरोटा सूरियां में एक पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के प्रमुख आकर्षण बर्ड वॉचिंग, बर्ड रिंगिंग, बोट टूर और साइकलिंग रहे। अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के 200 सौ से अधिक विद्यार्थियों और शाहपुर, पठानकोट और होशियारपुर से केंद्रीय विश्वविद्यालय के लगभग 200 विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया।

वार्षिक वाटर फाऊल पक्षियों के अनुमान के अभ्यास को भी महोत्सव के दौरान आयोजित किया गया। इस अभ्यास को दो भागों में बांटा गया। पहले दिन गणना के बारे विशेषज्ञों में चर्चा की गई और दूसरे दिन वास्तविक गणना के लिए पोंग डैम वेटलैंड में वर्ष 2019–20 के दौरान पक्षियों की आबादी के संख्यात्मक आकार को विभिन्न संगठनों और पक्षी समूहों के विशेषज्ञों द्वारा देखा गया। बर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल बर्ड क्लब, इंटरनेशनल वेटलैंड, वाइल्ड लाइफ इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया (डब्ल्यू.आई.आई.), धर्मशाला बर्ड क्लब और कई वन्यजीव प्रेमियों, बर्ड वॉचर, स्वयंसेवकों के साथ वन विभाग के अधिकारियों ने इस बड़े अभ्यास में भाग लिया।

विभिन्न विशेषज्ञों और वन अधिकारियों ने दो दिनों के संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र में 114 विभिन्न प्रजातियों के 1,15,701 पक्षियों को इस वर्ष पोंग डैम झील में पाया। इनमें 6,040 प्रजातियों के 1,04,032 प्रवासी वाटर फौल्स, 30 प्रजाति के 10,377 स्थानीय जल पक्षी एवं 24 प्रजातियों के अन्य स्थानीय 1292 पक्षी दर्ज किये गए। पक्षियों की कुल आबादी के साथ–साथ पक्षियों की प्रजातियों की संख्या में पिछले साल की तुलना में वृद्धि पाई गयी। पक्षियों की संख्या में 115229 से बढ़कर 115701 तथा प्रजातियाँ 103 से बढ़कर 114 की वृद्धि आंकी गई। प्रवासी जल आश्रित प्रजातियों तथा स्थानीय जल आश्रित प्रजातियों में भी पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश: 58 से 60 और 29 से 30 की वृद्धि दर्ज की गई।

चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन डा. सविता ने प्रसन्ता जताई है कि पौंग झील की प्रमुख प्रजाति बार–हेडेड गीज ने पिछले साल 2018–19 से 68% की वृद्धि दिखाई है, जो पिछले वर्ष 29443 की तुलना में इस वर्ष 49,496 दर्ज की गई। विशेषज्ञों की राय के अनुसार यह पक्षी प्रजाति साइबेरिया के दूर दराज के क्षेत्रों से आती है और खुले घास क्षेत्रों को पसंद करती है। वन्य प्राणी प्रभाग ने पक्षियों के निवास स्थान को समृद्ध करने के लिए बहुत कार्य किए हैं।

पर्यटन स्टाल पर उमड़ा लोगों का हुजूम

शिमला/शैल। सूरजकुंड में चल रहे 34वें अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में बड़ी संख्या में पर्यटकों व स्थानीय लोगों ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के भ्रमण तथा टूअर पैकेज के बारे में जानकारी हासिल की। पर्यटन सूचना केंद्र एवं प्रदर्शनी स्टाल पर दिन भर पर्यटकों का हुजूम उमड़ा रहा। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण परिवेश, पहाड़ों की रानी शिमला स्थित जाखू हनुमान मंदिर व रोपवे सहित पर्यटन विकास से संबंधित अधोसंरचना को एक मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया गया है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है।

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न रमणीय पर्यटन स्थलों के स्टाल में प्रदर्शित चित्रों से आकर्षित होकर मेला में पहुंचने वाले लोग बड़ी उत्सुकता से इन स्थलों के भ्रमण को लेकर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। स्टाल पर आने वाले पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध एवं पंजीकृत होम स्टे की जानकारी भी दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों के क्रम में अनफोरगेटेबल हिमाचल थीम पर फैशन शो का आयोजन किया जाएगा, जिसे मशहूर ड्रेस डिजाइनर रितु बेरी अपनी टीम के साथ प्रस्तुति देंगी। फैशन शो सूरजकुंड मेला मैदान की मुख्य चौपाल में शाम को 6 बजे से शुरू होगा।

हिमाचल प्रदेश 24 साल के बाद सूरजकुंड मेला में थीम स्टेट बना है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच लाभदायक साबित हो रहा है। दिल्ली सहित आस–पास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए आते हैं और सूरजकुंड मेला में पर्यटन स्थलों की जानकारी मिलने से उन्हें हिमाचल प्रदेश में अपना टूअर प्लान करने में सुविधा मिल रही है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
रीना

H.P.P.W.D.
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tenders are hereby invited/re- invited on form No 6 & 8 by the Executive Engineer, HPPWD Division Barsar on behalf of Governor of H.P for the following works from the approved and eligible contractors/firms enlisted in H.P.P.W.D. in the appropriate class so as to reach in this office **on 27-02-2020 up to 10.30 A.M**. and will be opened on the same day **at 11.00 A.M.** in the presence of intending contractors or their authorized representative. The tender form can be had from this office against cash payment [Non Refundable] on **26-02-2020 up to 4.00 PM. The offer of the tender shall be kept open for 120 days.**

Name of work No. 01:- C/O link road from Parkesh Chand Shop to Dugh Nallah Fagoti (Sh:- P/L Cement concrete pavement at rd. 0/0 to 0/180 (G.P. Railly) Deposit work Estimated Cost:- 3,51,690/- Earnest Money :- 7100/-/- Time :-One month Cost of form:-350/-

Name of work No. 02:- C/O link road from Biroja Mandi Raiily to village Ghaneera Nalah (Sh:- P/L Cement concrete pavement at rd. 0/0 to 0/180(G.P. Railly) Deposit under BSP Estimated Cost:- 3,51,697/- Earnest Money :- 7100/-/- Time :-One month Cost of form:-350/-

TERMS AND CONDITIONS

No.1:- The Earnest Money in the shape of National saving certificates / Time deposit Accounts/ Saving Account/ FDRs in any of the post office/ Nationalized Bank in duly pledged in favour of the Executive Engineer Barsar must be accompanied with the application.

The tender document shell be accepted in Two Covers.(Cover-1 shall contain EMD and Cover-2 shall contain

NO.2:- Conditional tenders and the tenders received without earnest money will out- rightly be rejected.

NO.3:- The contractor shall accompany his enlistment/ renewal order, **G.S.T. No.with latest clearance return and EPF No.with latest clearance return with his application for obtaining the tender documents.**

No.4:- Executive Engineer Reserves the right to reject the tender without assigning any reason.

NO.5:- The work will be completed by the contractor within the stipulated period

No.6:- Tender forms will not be issued to those contractors who are not registered under HPGST Act-1988 and GST & photo copy of individual PAN No. allotted to them attached with their application at the time of applying for tender documents. Application will not be entertained without aforesaid documents.

NO.7:- The contractor /firms are required to insert the rate of each item in words as well as in figures failing which Executive Engineer reserves the right to accept / rejects any overall tender.

NO.8:- The tender shall be issued to only those contractors/firms who are found eligible suitable and competent.

No.9:- The tender forms shall be issued to eligible contractor depending upon their past performance and work experience which shall be duly evaluated by the technical evaluation committee.

No. 10:- The Tender forms of soling ,wearing and tarring shall be issued only to those contractors who will produce proper documents of ownership of required machinery and completion certificate of similar work issued by the concerned Executive Engineer also required.

No. 11:- contractor /firm having necessary documents past adequate experience shall be preferred.

No. 12:- Contractor who have failed to start /complete the work in hand with in reasonable time shall not be issued tender forms.

No.13:-One contractor should not have more than two major works in hand at a time.

NO.14:-If 27-02-2020 happens to be holiday the tender shall be opened on next working day **at 11.00 A.M.**

Adv. No.4558/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संतुलित और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और पहले दिन से ही बिना किसी प्रतिशोध की राजनीति के इस दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह बात हरियाणा के पंचकुला में एक इलैक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल के संवाद कार्यक्रम के दौरान कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए 'श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' के गठन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि

इससे देश तथा विदेश में रह रहे करोड़ो लोगों की धार्मिक भावनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप है और इससे भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है।

प्रदेश सरकार की योजनाओं से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए जय राम ठाकुर ने कहा कि नई योजनाएं जैसे जन मंच, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, हिम केयर और सहारा योजनाओं के अच्छे परिणाम सामने आए हैं और सभी कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश को देश भर में दूसरे सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 'स्टेट ऑफ द स्टेट्स' पुरूस्कार में प्रदेश को प्रथम स्थान हासिल हुआ है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किए गए जन मंच कार्यक्रम के भी बेहतर परिणाम सामने आए हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में अब तक 181 जन मंच कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा चुका है। कार्यक्रम के दौरान 90 प्रतिशत से ज्यादा शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया है और अन्य शिकायतों को संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही के लिए भेजा गया है। इसके अतिरिक्त सरकार को जनता के और करीब लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन-1100 शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रदेश सरकार और संगठन आपसी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं और प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण और प्रत्येक क्षेत्र का विकास सरकार का एकमात्र उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि लोक सभा चुनावों में भाजपा ने सभी चारों सीटों पर रिकार्ड अंतर से विजय हासिल की। इसके अलावा उप-चुनावों में भी भाजपा को रिकार्ड मतों से जीत मिली।

जय राम ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष धर्मशाला में 7 व 8 नवम्बर को ग्लोबल इन्वेर्स्टज मीट आयोजित की गई जिससे प्रदेश विश्वभर के उद्यमियों और निवेशकों को निवेश के लिए एक मंच उपलब्ध करवाने में सफल हुआ है। इस सम्मेलन में 36 देशों के 200 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके फलस्वरूप अब तक 96720.88 करोड़ रूपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उन्होंने कहा कि 27 दिसम्बर, 2019 को 13656 करोड़ रूपये के निवेश परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के अर्न्तगत कवर नहीं हुए हैं उनके लिए प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना आरम्भ की है। इस योजना के अर्न्तगत परिवार के पांच सदस्यों को 5 लाख रूपये तक निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार की सुविधा उपलब्ध की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक साल के भीतर लगभग 5.50 लाख परिवार इस योजना में पंजीकृत हुए हैं और 58 हजार रोगियों का योजना के तहत उपचार हुआ है जिस पर सरकार ने 54.75 करोड़ रूपये खर्च किए हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए करोड़ों रूपये की विकासात्मक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे है। सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के अलावा जिला मण्डी में अंतर्राष्टीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले से मौजूद तीनों हवाई अड्डो का विस्तारीकरण किया जा रहा है ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति बनाई गई है, ताकि वर्षभर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। 'नई राहें नई मंजिलें' योजना के अंतर्गत स्कीइंग के लिए चांशल घाटी, ईको टूरिज्म के लिए जंजैहली, पैराग्लाईडिंग के लिए बीड़ बीलिंग और जल क्रीड़ा के लिए लारजी और पौंग डैम को विकसित किया जा रहा है। युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृति पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पहल पर पड़ोसी राज्य इस बुराई से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने के लिए सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए समाज का संपूर्ण सहयोग आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा घटक है, जिसके कारण लोकाचार के निर्माण के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान तैयार होते हैं। वह पंजाब राज्य के मोहाली में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह

के अवसर पर संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा में वैश्विक मानवता, वैज्ञानिक उत्सुकता, ज्ञान, अध्यात्म आदि का समावेश आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कार्य के प्रति प्रेम और उत्साह के माध्यम से वांछित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि हमारे देश ने अधोसंरचना, आर्थिक विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्रों में बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। इस गति को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा की सुदृढ़ प्रणाली समान रूप से कार्य करें, ताकि उच्च योग्यता प्राप्त, प्रतिभावान और प्रतिबद्ध श्रमशक्ति तैयार की जा सके।

जय राम ठाकुर ने कहा कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय देश का प्रमुख शिक्षण संस्थान बनकर उभरा है, जो युवाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्वविद्यालय में विश्व स्तरीय अध्ययन पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज की आर्थिक आवश्यकताओं के कारण तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा अत्यंत अनिवार्य बन गई है। राष्ट्र निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा आर्थिक, लोकतांत्रिक और आध्यात्मिक वास्तविकताओं की पूर्ति करे। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने शोध कार्य में 600 से अधिक पेटेंट दाखिल किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित हैं और प्रतिभावान युवाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ने व तरक्की के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता के लिए कुछ नया सीखने की जिज्ञासा अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धा के युग में हम अपने मूल्यों, संस्कृति और परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। भारत को कभी विश्व गुरू कहा जाता था और यह हम सबका उत्तरदायित्व है कि देश के पुराने वैभव को पुनः हासिल करने के लिए प्रयास करें। युवाओं में नशे के प्रति बढ़ते चलन पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इससे हमारे समाज को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि इस सामाजिक बुराई के विरूद्ध लड़ाई लड़ें, क्योंकि केवल कानून से ही इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता।

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के चांसलर सतनाम सिंह संधु ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। कुलपति प्रोफेसर आरएस बावा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने अनुदान बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार व वित्त आयोग का आभार जताया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए अनुदान बढ़ाने के लिए वित्त आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से इस संदर्भ में मामला उठाया था और आग्रह किया था कि प्रदेश की ग्रांट को बढ़ाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश को 11 हजार करोड़ रुपये के वार्षिक अनुदान की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि यह धनराशि प्रदेश में विकास को और गति देने के लिए उपयोग में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश के तीव्र और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और केंद्र सरकार से राज्य को भरपूर यहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षो में केंद्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश के लिए हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं जिसके लिए राज्य सरकार केंद्र की आभारी है। केंद्र सरकार ने प्रदेश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुदान बढ़ाया है जिसके लिए राज्य सरकार वित्त आयोग और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती है।

मुख्यमंत्री ने श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास गठित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने लोक सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मन्दिर निर्माण के लिए श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास गठित करने की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे देश व विदेश में रहने वाले करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस न्यास में 15 सदस्य होंगे, जिनमें से एक दलित समुदाय का सदस्य होगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप है जिससे भव्य मन्दिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट के उपरांत 15 हजार करोड़ के नए एमओयू प्राप्त

शिमला/शैल। उद्योग विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नवम्बर, 2019 में धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट के उपरांत विभिन्न विभागों में 15 हजार करोड़ रुपये के नए समझौता ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 703 एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं, जिनमें 96,720 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इनमें एग्री बिजनेस, खाद्य प्रसंस्करण और पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलॉजी में 309.55 करोड़ रुपये के नौ एमओयू, निर्माण एवं फार्मास्यूटिकल में 17063. 22 करोड़ रुपये के 250 एमओयू, पर्यटन, आतिथ्य सत्कार एवं नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 16559.94 करोड़ रुपये के 225 एमओयू, हाइड्रो एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 34112 करोड़ रुपये के 18 एमओयू शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आरोग्य, स्वास्थ्य देखभाल एवं आयुष क्षेत्र में 1901.75 करोड़ रुपये के 50 एमओयू, आवास शहरी विकास एवं परिवहन क्षेत्र में 21740.36 करोड़ रुपये के 76 एमओयू, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 2833.21 करोड़ रुपये के 14 एमओयू, शिक्षा एवं कौशल विकास क्षेत्र में 2034.85 करोड़ रुपये के 57 एमओयू तथा अन्य क्षेत्रों में 166 करोड़ रुपये के चार एमओयू शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इन समझौता ज्ञापनों के माध्यम से 196800 लोगों को रोजगार प्रदान करना प्रस्तावित है।

प्रवक्ता ने कहा कि इन सभी समझौता ज्ञापनों की जांच और छंटनी पूरे एहतियात के साथ की गई है और जिन कंपनियों ने दो-दो आवेदन अथवा एमओयू किए हैं, उनको अलग-अलग उपक्रमों के लिए अलग निवेश की राशि के साथ हस्ताक्षरित किया गया है। ये उपक्रम अलग स्थानों पर स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं।

सूरजकुंड में भीमाकाली मंदिर की ओर आकर्षित हो रहे हैं पर्यटक

शिमला/शैल। सूरजकुंड में 34वें अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश द्वारा मेला मैदान में बनाए गई भीमाकाली मंदिर की प्रतिकृति पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण बन गई है। पारंपरिक शैली में बनाए गये इस मंदिर को देखने बड़ी संख्या में पर्यटक उमड़ रहे हैं। वर्ष 2020 के इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भीमाकाली मंदिर की प्रतिकृति को स्थायी तौर पर बनाया गया है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश 1996 में थीम राज्य बना था और महेश्वर देवता मंदिर की स्थाई प्रतिकृति बनाई गई थी।

इसके अतिरिक्त हिमाचल के दर्शन करवाते पांच अस्थायी द्वार भी मेला मैदान में बनाए गए हैं। इनमें एक स्थाई द्वार हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक शैली में बनाया गया है।

थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश ने 'अपना घर' भी बनाया है जिसे देखने लोग भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। पारम्परिक पहाड़ी शैली में बनाये गये दो मंजिला 'अपना घर' में जिला चंबा से एक परिवार को ठहराया गया है जो पर्यटकों को ग्रामीण संस्कृति, रहन-सहन व जीवन शैली का अनुभव करा रहा है।

इसके अलावा हिमाचल के हथकरघा-हस्तशिल्प व अन्य हिमाचली उत्पादों के स्टालों पर प्रदर्शित उत्पादों को भी खूब पसंद किया जा रहा है।

मेला मैदान में हिमाचल प्रदेश की विभिन्नता भरी संस्कृति को दर्शाते सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मेला मैदान की विभिन्न जगहों पर हिमाचली लोक गीत व नृत्य, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। पर्यटकों को राज्य के खूबसूरत पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित करने तथा अन्य जानकारी प्रदान करने के लिए स्थापित सूचना केंद्र में काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं।

स्वतंत्र होने का साहस करा, जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो, और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

जनादेश का अर्थ आर्थिक असफलता नही है

केन्द्रिय वित्त मंत्री श्रीमति सीता रमण ने संसद में वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्ताव रखते हुए यह कहा है कि मई 2019 में देश की जनता ने मोदी सरकार को जो भारी जनादेश दिया है वह केवल राजनीतिक स्थिरता के लिये ही नही दिया है बल्कि इसके माध्यम से सरकार की आर्थिक नीतियों में भी विश्वास व्यक्त किया है। देश की जनता जब भी किसी सरकार का चयन करती है तो इसी अपेक्षा के साथ करती है कि यह सरकार राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करे। 2014 मे भी यही विश्वास व्यक्त किया था क्योंकि तब सरकार ने विदेशों में जमा देश के कालेधन को वापिस लाकर हर आदमी के खाते में पन्द्रह लाख आ जाने का वायदा किया था। नवम्बर 2016 में जब नोटबंदी लागू की गयी थी तब भी यह कहा गया था कि इससे आतंकवाद और कालेधन पर अंकुश लगेगा। लेकिन नोटबंदी के माध्यम से कितना कालाधन पकड़ा गया या स्वत: ही खत्म हो गया यह आंकड़ा अभी तक देश की जनता के सामने नही आया है। बल्कि यह हुआ कि सरकार को आरबीआई से सुरक्षित धन लेना पड़ा। नोटबंदी से जो उद्योग प्रभावित हुए उन्हें पुन: मुख्य धारा में लाने के लिये विशेष सहायता पैकेज दिये गये। लेकिन यह पैकेज देने से सही में कितना लाभ हुआ और कितना रोज़गार बढ़ा इसका भी कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। उल्टे यह सामने आया कि इसके बाद मंहगाई और बेरोज़गारी दोनो बढ गयी। प्याज़ की कीमतें इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यह चर्चा इसलिये उठा रहा हूं क्योंकि चुनावी चर्चाओं से यदि कोई चीज़ गायब रहती है तो वह केवल सरकार की आर्थिक नीतियां ही होती हैं क्योंकि राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र/ संकल्प पत्र उस समय जनता में जारी करते हैं जब जनत भावनात्मक मुद्दों के गिई पूरी तरह केन्द्रित हो चुकी होती है। उसके पास राष्ट्र भक्ति और हिन्दु -मुस्लिम, मन्दिर-मस्जिद जैसे मुद्दे पूरी तरह अपना असर कर चुके होते हैं। इसलिये जनादेश को आर्थिक नीतियां पर मोहर मान लेना सही नही होगा।

केन्द्र सरकार के वर्ष 2019-20 के बजट में यह कहा गया था कि इस वर्ष सरकार की कुल राजस्व आय 27,86,349 करोड़ रहेगी लेकिन संशोधित अनुमानों में इसे घटाकर 26,98,522 करोड़ पर लाया गया है। यही स्थिति खर्च में भी रही है। बजट अनुमानों के मुताबिक कुल 27,86,349 करोड़ माना गया था जिसे संशोधित करके 26,98,522 करोड़ पर लाया गया है इसके परिणामस्वरूप जो घाटा 4,85019 करोड़ आंका गया था वह संशोधित में 4,99,544 करोड़ हो गया है। वर्ष 2019-20 के इन बजट आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के आय, व्यय और घाटे के सारे आकलन और अनुमान जमीनी हकीकत पर पूरे नही उतर पाये हैं। इसी गणित में जो आंकड़े वित्तिय वर्ष 2020-21 के लिये दिये गये हैं जिनमें कुल 3042230 करोड़ का आय और व्यय दिखाया गया है वह कितना सही उतर पायेगा यह विश्वास करना कठिन हो जाता है। इस वस्तुस्थिति में जनता को वायदों और ब्यानों के मायाजाल में उलझाये रखने के अतिरिक्त तन्त्र के पास कुछ शेष नही रह जाता है। आज अगले वित्त वर्ष में सरकार ने दो लाख करोड़ से अधिक के विनिवेश का लक्ष्य रखा है जो पिछले वर्ष एक लाख करोड़ था। स्वभाविक है कि विनिवेश में सरकारी उपक्रमों को निजिक्षेत्र को दिया जायेगा। इसमें भारत पैट्रोलियम, एलआईसी, बीएसएनएल, आईटीबीआई, एयर इण्डिया और इण्डियन रेलवे जैसे उपक्रम सूचीबद्ध कर लिये गये हैं। अभी बीएसएनएल में करीब 93000 कर्मचारियों को इकट्ठे सेवानिवृति दी गयी है क्योंकि उसे नीजिक्षेत्र को सौंपना है। ऐसा ही अन्य उपक्रमों में भी होगा। नीजिक्षेत्र में जाने की प्रक्रिया का पहला असर वहां काम कर रहे कर्मचारियों पर होता है। क्योंकि सरकार की नीति लाभ से ज्यादा रोज़गार देने पर होती है जबकि नीतिक्षेत्र में लाभ कमाना ही मुख्य उद्देश्य होता है रोजगार देना नहीं। स्वभाविक है कि जब नीजिकरण की यह प्रक्रिया चलेगी तो इससे रोज़गार के अवसर कम होंगे जिसका सीधा असर देश के युवा पर पड़ेगा और वह कल सरकार की नीतियों के विरोध में सड़क पर आने के लिये विवश हो जायेगा।

आर्थिक मुहाने पर ऐसे बहुत सारे बिन्दु हैं जहां सरकार की आर्थिक नीतियों /फैसलों पर खुले मन से सार्वजनिक चर्चा की आवश्यकता है। अभी सरकार नै बैंकों में आम आदमी के जमा पैसे की इन्शयोरैन्स की राशी एक लाख से बढ़ा कर पांच लाख की है। पहले केवल एक लाख ही बैंक में सुरक्षित रहता था जो अब पांच लाख हो गया है। यह स्वागत योग्य कदम है लेकिन इसी के साथ बैंकों को रैगुलेट करने के लिये आरबीआई से हटकर जो अथॉरिटी बनाने की बात वित्त मन्त्री ने की है उसके तहत बैंक का घाटा उस बैंक में जमा बचत खातों से पूरा करने का जो प्रावधान किये जाने की बात है क्या उस पर सर्वाजनिक चर्चा की आवश्यकता नही है। वित्त मन्त्री ने कहा है कि इस संबंध में शीघ्र ही विधेयक लाया जायेगा। इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए लाखों करोड़ हो चुका है। बहुत सारे कर्जधारक देश छोड़कर विदेशों में जा बैठे हैं उनसे पैसा वसूलने और उन्हें वापिस लाने की प्रक्रियाएं चल रही हैं जिनका कोई परिणाम सामने नही आया है और इस पर कोई सार्वजनिक बहस भी उठाने नहीं दी जा रही है। बल्कि यह आरोप लग रहा है कि आर्थिक असफलताओं पर बहस को रोकने के लिये ही एनआरसी, एनपीआर और सीएए जैसे मुद्दे लाये गये हैं। ऐसे में यह स्पष्ट है कि जब इन मुद्दों के साथ आर्थिक असफलता जुड़ जायेगी तो उसके परिणाम बहुत ही घातक होंगे।

जनसहभागिता से हरित आवरण विस्तार के अभिनव प्रयास

राज्य सरकार ने प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ाने और पौधरोपण के लिए अनेक नए कदम उठाए हैं और नई योजनाएं शुरू की हैं। सत्ता में आने के प्रथम वर्ष से ही सरकार ने प्रदेश के हरित आवरण बढ़ाने और पौधरोपण के लिए दक्ष प्रयास करने आरम्भ कर दिए थे। सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश के वन क्षेत्र को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज के हर वर्ग को पौधरोपण कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है।

वन विभाग द्वारा विभिन्न चिन्हित स्थानों पर पौधरोपण अभियान चलाया गया है और 2019 में 118932 स्थानीय लोगों की मदद से 2647146 पौधे रोपित किए गए हैं। यह अभियान पांच दिनों के लिए चलाया गया था और प्रदेश के इतिहास में पहली बार पांच दिनों के भीतर एक साथ इतने पौधे रोपित किए गए थे। इस अभियान में विभिन्न वर्गों के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था।

इस प्रकार के जन समर्थन अभियानों के परिणामस्वरूप ही वन विभाग को प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने में सफलता मिली है। वर्ष 2019 के वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार हरित वन आवरण क्षेत्र जो वर्ष 2017 में 15,100 वर्ग किलोमीटर था वह वर्ष 2019 में बढ़कर 15433.52 हो गया है। यह गर्व की बात है कि भारत वन सर्वेक्षण में कुल वन आवरण क्षेत्र में आए परिवर्तन के साथ-साथ अधिक सघन, मध्य सघन तथा खुले वन क्षेत्रों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में औसतन मध्यम सघन वन क्षेत्र जो वर्ष 2017 में 6705 वर्ग किलोमीटर था, वह वर्ष 2019 में बढ़कर 7125.93 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इसी प्रकार अधिक सघन वन क्षेत्र भी 3110 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 3112.71 वर्ग किलोमीटर हो गया है।

वन संवर्द्धन को आजीविका से जोड़ने के लिए जापान सरकार तथा भारत सरकार के सहयोग से 800 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका परियोजना (जेआईसीए) शुरू की है। यह परियोजना प्रदेश के छह जिलों कुल्लू, मण्डी, लाहौल-स्पिति, बिलासपुर, शिमला और किन्नौर में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य प्रदेश में सतत् सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वन क्षेत्र में पारिस्थितिकी में सुधार करना है। इस परियोजना के अंतर्गत 460 कमेटियों का गठन कर वन एवं पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता एवं जीव जंतु, संरक्षण, आजीविका में सुधार जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार तथा जर्मन विकास बैंक केएफडब्ल्यू के सहयोग से जिला कांगड़ा तथा चंबा में 310 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको सिस्टम क्लाईमेट प्रूफिंग परियोजना भी चलाई जा रही है।

पौध रोपण को व्यापक स्तर पर विकसित करने के लिए वन विभाग द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से समाज के हर एक वर्ग को पौधरोपण कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। छात्रों में वन और पर्यावरण के संरक्षण की भावना को जागरूक करने के लिए सरकार ने 'विद्यार्थी वन मित्र योजना' आरम्भ की है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों के उपयोगी पौधों के रोपण के लिए विद्यालयों को वन भूमि में भूखण्ड आवंटित किए गए हैं, इसी प्रकार 'वन समृद्धि जन समृद्धि योजना' भी शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को वनों में जड़ी-बूटियों को एकत्र करके स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण, मूल्य वृद्धि व विपणन प्रदान किया जाएगा। जंगली जड़ी-बूटियों के माध्यम से भी रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं और निजी भूमि में भी विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

वानिकी गतिविधियों में युवक और महिला मण्डलों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने 'सामुदायिक वन संवर्धन योजना' आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत गांवों के आस-पास खाली भूमि में पौधरोपण किया जा रहा है और संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों (जेएफएमसी) व ग्राम वन विकास समितियों (वीएफडीसी) के माध्यम से वनों को बढ़ावा देने संबंधी कार्य भी किए जा रहे हैं। कार्य की सूक्ष्म योजनाएं भी इन समितियों द्वारा स्वयं तैयार की जा रही है।

बालिकाओं के अधिकार के प्रति प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को जागरूक करने और पर्यावरण के मुद्दे से जोड़ने के विचार को समाज तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने 'एक बूटा बेटी के नाम' योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 20 सितम्बर, 2019 के बाद प्रदेशभर में जन्म लेने वाली बेटी के परिवार को वन विभाग पांच पौधे, ट्री गार्ड, बच्चे के नाम की पट्टिका, 20 किलोग्राम केंचुआ खाद और तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाएगा। इस योजना के अर्न्तगत अगले पांच वर्षों में लगभग 11,50,000 पौधे लगाए जाने का अनुमान है और जिसके लिए 28.75 करोड़ रूपये व्यय किए जाएंगे।

सार्वजनिक भागीदारी और मार्गदर्शन के बिना वाणिकी और पर्यावरण संरक्षण सफल नहीं हो सकता, इसलिए जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भी प्रदेश में कई परियोजनाएं चला रही हैं। सरकार ने वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री महिला वन मित्र पुरस्कार और मुख्यमंत्री युवा वन मित्र पुरस्कार योजना भी शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत महिला मंडलों और युवक मंडलों को वनों को आग से बचाने, उत्कृष्ट पौध रोपण करने और जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रथम पुरस्कार के रूप में 50 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 40 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार के रूप में 30 हजार रुपये की राशि देने का प्रावधान किया है। पंचायतों के लिए 'मुख्यमंत्री वन मित्र पंचायत पुरस्कार' और विभिन्न समितियों के लिए 'मुख्यमंत्री सर्वोत्तम वन प्रबंधन समिति पुरस्कार परियोजना के अंतर्गत उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र सहित एक लाख, 75 हजार और 50 हजार रुपये के नगद प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है।

सरकार के इन दक्ष प्रयासों से न केवल उपलब्ध वनों के संरक्षण अपितु इनके संवर्द्धन में भी सहायता मिली है। 30 दिसंबर को भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिल्ली में जारी की गई भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के हरित वन आवरण में 333.52 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके कारण हिमाचल ने देश के अग्रणी राज्यों में पांचवा स्थान प्राप्त किया है। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है। हरित आवरण में यह वृद्धि प्रदेश में चलाए जा रहे वन संरक्षण व पौधरोपण के लिए सतत् प्रयासों से संभव हुई है। इसके लिए वन विभाग के दृढ़ प्रयासों के साथ-साथ प्रदेश की जनता की सहभागिता भी सराहनीय है।

कांग्रेस की हताशा है या फिर सुनियोजित रणनीति?

–डॉ नीलम महेंद्र–

दिल्ली के चुनाव आज देश का सबसे चर्चित मुद्दा है। इसे भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य कहें या लोकतंत्र का, कि चुनाव दर चुनाव राजनैतिक दलों द्वारा वोट हासिल करने के लिए वोटरों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देना तो जैसे चुनाव प्रचार का एक आवश्यक हिस्सा बन गया है। कुछ समय पहले तक चुनावों के दौरान चोरी छुपे शराब और साड़ी अथवा कंबल जैसी वस्तुओं के दम पर अपने पक्ष में मतदान करवाने की दबी छुपी सी अपुष्ट खबरें सामने आती थीं लेकिन अब तो राजनैतिक दल खुल कर अपने संकल्प पत्रों में ही डंके की चोट पर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मुफ्त बिजली, पानी की घोषणा के बल पर पिछले विधानसभा चुनावों में अपनी बम्पर जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी अपने उसी पुराने फॉर्मूले को इस बार फिर दोहरा रही है। मध्यप्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के कर्जमाफी की घोषणा के कारण सत्ता से बाहर हुई बीजेपी भी इस बार कोई खतरा नहीं लेना चाहती। शायद इसलिए हर बार विकास की बात करने वाली भाजपा भी इस बार मुफ्त के नाम पर वोट मांगने की होड़ में शामिल हो गई है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त स्कूटी, जैसी अनेक घोषणाओं के साथ साथ वो शाहीन बाग को भी मुद्दा बनाकर राष्ट्रवाद के साथ दिल्ली की जनता के सामने है। नतीजन जो चुनाव पहले लगभग एकतरफा दिख रहा था वो अब कांटे की टक्कर बनता जा रहा है। जो केजरीवाल चुनाव प्रचार के शुरुआत में अपने काम के आधार पर वोट मांगते हुए अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रहे थे उन्हें आज भाजपा ने अपनी पिच पर खेलने के

लिए विवश कर दिया है। पाँच साल तक मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले केजरीवाल आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इससे पहले सालों से वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी यह देश चुनावों के दौरान अपने जनेऊ का प्रदर्शन करता देख चुका है। राहुल गांधी से याद आया कि दिल्ली के इस दंगल में कांग्रेस कहीं दिखाई ही नहीं दे रही? यह कांग्रेस की हताशा है या फिर उसकी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा? क्योंकि वो दिल्ली जो कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही है अगर उस दिल्ली के चुनावों में चुनाव से महज चार दिन पहले राहुल गांधी अपनी पहली चुनावी रैली करते हैं तो इससे कांग्रेस क्या संदेश देना चाह रही है? यह कि दिल्ली उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर यह कि वो दिल्ली में चुनाव से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुकी है? आखिर क्यों जिस दिल्ली में 1998 से 2013 तक पंद्रह वर्षो तक कांग्रेस ने शासन किया उस दिल्ली के पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दिया। यह भी अचरज का विषय है कि दिल्ली के चुनावों के लिए कांग्रेस के नेताओं के पास समय नही है लेकिन शाहीन बाग के धरने में भाषण देने के लिए कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। आश्चर्य इस बात का भी है कि कांग्रेस के इस आचरण से मतदाताओं के मन में कांग्रेस की कैसी छवि बन रही है कांग्रेस के नेताओं को शायद इस बात की भी परवाह नहीं है। यह खेद का विषय है कि देश पर सत्तर सालों तक राज करने वाला एक राष्ट्रीय दल पिछली दो बार से लोकसभा चुनावों में एक मजबूत विपक्ष होने के लायक पर्याप्त संख्या बल भी नहीं जुटा पाया और अब वो दिल्ली विधानसभा चुनावों में सत्ता तो दूर की बात है, वहाँ भी विपक्ष के नाते अपना वजूद तक नहीं तलाश पा रहा।

लेकिन इन सभी बातों से परे अगर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी भी है, वो अगर किसी रणनीति के तहत दिल्ली के चुनावों को केवल रस्म अदायगी के लिए लड़ रही है और चुनाव प्रचार से उसी रणनीति के तहत 'गायब' है तो यह वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से अघोषित गठबंधन कर लिया है और केवल भाजपा को नुकसान पहुंचाने की नीयत से दिल्ली के चुनाव को आम आदमी पार्टी और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई बना रही है तो निश्चित ही अब समय आ गया है कि अब कांग्रेस को अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो अपने लिए ऐसे नए सलाहकार खोजने होंगे जो सकारात्मक सोचें आत्मघाती नहीं। वैसे तो कांग्रेस के रणनीतिकारों की सकारात्मकता का कोई जवाब नहीं है जो गुजरात के विधानसभा चुनावों में लगातार चौथी बार भाजपा से पराजित होने में भी अपनी जीत का जश्न मनाते हों या फिर कर्नाटक में भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए अपने से कम सीटें जीतने वाले दल का मुख्यमंत्री बनाने पर राजी हो जाते हैं या महाराष्ट्र में शिवसेना जैसे विरोधी विचारधारा वाली पार्टी के साथ सरकार बना लेते हैं। स्पष्ट है कि आज की कांग्रेस के लिए अपनी सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण है भाजपा को सत्ता से दूर रखना। शायद इसलिए आज वो किसी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी ना होकर येन केन प्रकारेण एक लक्ष्य को हासिल करने वाली पार्टी बनकर रह गई है। इसे क्या कहा जाए कि गांधी और नेहरू की विरासत के साथ आगे बढ़ते हुए जो दल आज एक घना विशालकाय वृक्ष बन सकता था आज परजीवी बन कर रह गया है। यह देखना दुखद है कि भाजपा की हार में अपनी जीत तलाशते तलाशते आज कांग्रेस उस मोड़ पर आ गयी है जहाँ वो दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत में अपनी सफलता तलाश रही है। अब यह सोच आत्मघाती कहें या समझदारी यह कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि देश तो अभी भी कांग्रेस की ओर उम्मीद से देख रहा है लेकिन लगता है कि कांग्रेस खुद ही अपने से सभी उम्मीदें छोड़ चुकी है।

पूर्वोत्तर में दो ऐतिहासिक समझौते

– ए. सूर्यप्रकाश–

ऐसे समय में जब नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) के बारे में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है और कुछ लोगों की शय पर इसे वापिस लेने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है, नरेन्द्र मोदी सरकार पूर्वोत्तर में अल्पसंख्यकों और जातीय विवादों से जुड़े लम्बित मुद्दों के समाधान के लिए शांतिपूर्वक अपना कार्य कर रही है।

हालांकि, सीएए सुर्खियों में है, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 50 वर्ष पुरानी बोडो समस्या और त्रिपुरा में ब्रू-रियांगों के पुनर्वास के 23 वर्ष पुराने मुद्दे को समाप्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करने का संचालन किया।

बोडो से जुड़ा जातीय विवाद अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, लेकिन हाल ही के समझौते के साथ, समस्या का एक स्थायी समाधान ढूंढ लिया गया है। भारत सरकार, असम सरकार और बोडो उग्रवादियों के बीच हुए एक ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत, केन्द्र ने बोडो इलाकों में कुछ विशेष परियोजनाओं के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये का विकास पैकेज देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। बदले में, करीब 1500 सशस्त्र कैडर हिंसा त्याग देंगे और मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे। समझौते के बाद सरकार ने कहा कि बोडो द्वारा रखी गई मांगों के लिए एक विस्तृत और अंतिम समाधान ढूंढ़ लिया गया है। अब, अनेक वर्षो के विवाद के बाद, बोडो गुट हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे, हथियार डाल देंगे और अपने संगठनों को बंद कर देंगे। केन्द्र और असम सरकार इन कैडरों में से 1500 के पुनर्वास के लिए कदम उठाएगी।

इस ऐतिहासिक बोडो समझौते से कुछ दिन पूर्व, गृह मंत्री अमित शाह ने इन शरणार्थियों के 23 वर्ष पुराने संकट को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार और त्रिपुरा तथा मिजोरम की सरकारों और ब्रू-रियांग के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान उसका संचालन किया था। इस समझौते से त्रिपुरा में ब्रू-रियांग स्थायी रूप से बस सकेंगे और पुनर्वास पैकेज में 600 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

ब्रू-रियांग शरणार्थियों की 23 वर्ष पुरानी समस्या नासुर बन गई थी। मिजोरम में 1997 में उत्पन्न जातीय तनाव के बीच उस वक्त इसकी उत्पत्ति हुई, जब करीब करीब 30,000 सदस्यों के साथ 5000 परिवार राज्य से भाग गए और उन्होंने त्रिपुरा में शरण ले ली। इन लोगों को उत्तरी त्रिपुरा में अस्थायी शिविरों में रखा गया। चूंकि विस्थापित जनजातियों की समस्या बनी हुई थी, 2010 के बाद ब्रू-रियांग के पुनर्वास के लिए कुछ प्रयास किए गए। 5000 परिवारों में से, करीब 1600 परिवारों को मिजोरम वापस भेज दिया गया और केन्द्र सरकार ने त्रिपुरा और मिजोरम सरकारों की सहायता की पहल की। मोदी सरकार की पहली प्रमुख पहल जुलाई, 2018 में देखने को मिली, जब सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणामस्वरूप इन परिवारों को दी जाने वाली सहायता बढ़ा दी गई। इसके बाद 1369 सदस्यों के साथ 328 परिवार मिजोरम लौट आए, लेकिन इसके बाद ब्रू आदिवासी एक ऐसा समाधान चाहते थे, जिससे वे त्रिपुरा में स्थायी रूप से बस सकें। उनका मानना था कि वे राज्य में अधिक सुरक्षित रहेंगे।

नवीनतम समझौते से करीब 34,000 ब्रू-रियांग लाभान्वित होंगे, जो त्रिपुरा में छह शिविरों में रह रहे हैं।

जनजातीय अनुसंधान और सांस्कृतिक संस्थान, त्रिपुरा के अनुसार त्रिपुरा में रियांग दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है और उसे भारत के 75 आदिम आदिवासियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि रियांग म्यांमार के शान राज्य से आए, चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों और उसके बाद त्रिपुरा चले गए। एक अन्य समूह था, जो 18वीं शताब्दी के दौरान असम और मिजोरम के रास्ते त्रिपुरा आया।

संस्थान का कहना है कि रियांगों की आबादी 1.88 लाख है और वे दो प्रमुख कुटुम्बों -मेस्का और मोल्सोई में बंटे हुए हैं। ये अभी भी खानाबदोश आदिवासी हैं और इनकी बड़ी संख्या पहाड़ की चोटियों में झूम खेती पर निर्भर करती है। इनकी भाषा कोबरू के नाम से जानी जाती है। इनकी एक बड़ी आबादी वैष्णव सम्प्रदाय की अनुयायी है। रियांग के लोक जीवन और संस्कृति में उत्कृष्ट सांस्कृतिक संघटक है। इनमें सबसे लोकप्रिय होजागिरी नृत्य है, जिसे बांसुरी की मधुर धुन के साथ किया जाता है।

गृह मंत्री अमित शाह के अलावा इस ऐतिहासिक हस्ताक्षर समारोह में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरम थंगा, पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के अध्यक्ष हिमंत बिस्व सरमा, त्रिपुरा के शाही परिवार के वंशज प्रद्योत किशोर देव बर्मा और ब्रू प्रतिनिधि मौजूद थे।

समझौते के अनुसार त्रिपुरा में रह रहे ब्रू परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक भूखंड, चार लाख रुपये का फिक्स्ड डिपोजिट, दो वर्ष के लिए प्रति माह 5000 रुपये, दो वर्ष के लिए मुफ्त राशन और अपना घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये दिये जाएंगे। भूखंड त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने ब्रू आदिवासियों के सामने मौजूद समस्या को समाप्त करने के लिए गंभीर प्रयास शुरू कर दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ माह पूर्व दोनों राज्य सरकारों और ब्रू लोगों को एकसाथ लाने का फैसला किया। उन्होंने ब्रू लोगों के मिजोरम में पुनर्वास के प्रयासों की बजाय उन्हें त्रिपुरा में बसाने की पहल को समर्थन देने के लिए त्रिपुरा के नरेश और विभिन्न आदिवासी समूहों से भी बातचीत की। जैसा कि शाह ने हाल ही में हस्ताक्षर किये गये समझौते के बाद कहा, यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' नीति और पूर्वोत्तर के लम्बित विषयों के समाधान पर उनके जोर देने का हिस्सा है।

दोनों समझौतों से नरेन्द्र मोदी सरकार की कुशाग्रता का पता लगता है, जो पूर्वोत्तर के लम्बित विषयों का समाधान करना चाहती थी और इन राज्यों को विकास के ऊंचे रास्ते पर ले जाना चाहती है।

फिर भी पूर्वोत्तर में इन सकारात्मक पहलों से बेखबर, कुछ असंतुष्ट अल्पसंख्यक गैर-मुद्दों पर आंदोलन जारी रखे हुए हैं।

कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं कार्यन्वित

शिमला। प्रदेश सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गो विशेषकर कमजोर वर्गो के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग को विकास एवं उन्नति के समान अवसर उपलब्ध हों। गत दो वर्षो में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं।

कांगड़ा जिला में इस वित्तिय वर्ष में 11893 नए पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाया गया है। इस तरह जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या पूर्व में 1,00,186 लाभार्थियों से बढ़कर 1,12,079 हो गई है। जिला कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक पेंशन योजना के अन्तर्गत 01 अप्रैल, 2019 से 30 दिसम्बर, 2019 तक 1,12,051 पात्र व्यक्तियों को लगभग 110 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं।

गृह निर्माण अनुदान योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को नया मकान बनाने के लिए मिलने वाली अनुदान राशि 1 लाख 30 हजार रुपये तथा मकान की मरम्मत के लिए 25 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार ने मंत्रीमंडल की बैठक में गृह निर्माण अनुदान योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को 1 लाख 30 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये तथा मकान की मरम्मत के लिए 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये करने का निर्णय लिया है।

कांगड़ा जिला में गृह निर्माण अनुदान योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के समस्त पात्र लोगों के उत्थान के लिए कल्याण विभाग के माध्यम से वर्तमान वित्त वर्ष में 31 दिसम्बर, 2019 तक 4 करोड़ 21 लाख 5 हजार रूपये व्यय कर 321 पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया है।

कांगड़ा जिला में वर्ष 2019-20 में 31 दिसम्बर, 2019 तक 289 दिव्यांग छात्रें को छात्रवृति के रूप में 25 लाख 49 हजार 875 रुपये की राशि वितरित की गई।

जिला में अनवर्ती कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के 526 लड़कियों/महिलाओं को सिलाई मशीन की खरीद पर 9 लाख 46 हजार 800 रुपये की राशि 31 दिसम्बर, 2019 तक खर्च की गई है।

जिला में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत 289 पात्र परिवारों को 57 लाख 80 हजार रुपये 31 दिसम्बर, 2019 तक वितरित किये गये हैं।

अपंग विवाह अनुदान योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2019 तक 20 पात्र व्यक्तियों को 6 लाख 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये गये हैं। इसी तरह अन्तर्जातीय विवाह योजना में भी 31 दिसम्बर, 2019 तक 99 लाभार्थियों को 49 लाख 50 हजार रुपये की राशि वितरित की गई है।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दर्ज हुए 30 पुलिस केसों में 15 लाख 45 हजार रुपये की राहत राशि 31 दिसम्बर, 2019 तक वितरित की गई।

अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों से संबन्धित अभ्यर्थियों या जिनकी वार्षिक आय दो लाख से कम है, को कम्पयूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कम्पयूटर एप्लीकेशन एवं समवर्गी क्रियाकलापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों को 1200 रूपये प्रतिमाह प्रशिक्षण शुल्क तथा प्रशिक्षण के दौरान 1000 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सफल उम्मीदवार को छः माह के लिए सरकारी/गैर-सरकारी संस्थानों में कम्पयूटर एप्पलीकेशन में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए रखा जाता है तथा इस अवधि के दौरान उसे 1500 रू0 प्रतिमाह की छात्रवृति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 तक 417 छात्र व छात्राओं पर 37 लाख 92 हजार 138 रुपये खर्च किये गये है।

जिला कल्याण अधिकारी असीम सूद का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं वरदान साबित हुई हैं। इन योजनाओं की सहायता से न केवल गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, बल्कि उनको एक सम्बल भी मिला है। समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए सरकार द्वारा अनेकों अहम् निर्णय लिए गये हैं। सरकार का हर निर्णय जन कल्याण की भावना से प्रेरित है और जनता के व्यापक हितों को साधता है।

पहचान खोता हुआ पांगना का ऐतिहासिक किला

किसी भी सरकार ने नहीं ली इस ऐतिहासिक धरोहर की सूध महामाया मंदिर और पांगना किले को पूरातात्विक महत्व का स्थल घोषित किया जाए
–गगनदीप सिंह–

शिमला। इतिहास, संस्कृति, पूरातात्विक महत्व की जगहों के सरक्षण के सारे के सारे सरकारी दावे पांगना पहुंचने तक दम तोड़ देते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पांगना क्षेत्र मुख्यमंत्री के गृहक्षेत्र में आता है। सराज में चार ऐतिहासिक किले हैं जिनका हाल भी बुरा है। मंडी जिला, तहसील करसोग में पड़ने वाले नगर पांगना का हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अनुठा योगदान है। पांगना सुकेत रियासत की पहली राजधानी है। पांगना में करीबन 1300 साल पूराना ऐतिहासिक किला है। ऐतिहासिक किले में उतना ही पूराना महामाया मंदिर है। लेकिन यह सब अपनी पहचान खोने के कगार पर पहुंच गए हैं। न तो सरकार इस की ओर ध्यान दे रही है न ही राज परिवार इसकी सूध ले रहा है।

647 ई. में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई और साम्राज्य का पतन हुआ तो उतर भारत में राज्यों और राजाओं की बाढ़ सी आ गई। हर कोई राजा बनना चाहता था और अपने राज्य कायम कर रहा था। मैदानी इलाकों के राजपुत शासकों में युद्ध हुए। इन युद्धों में जो भी राजा हार जाता था वह हिमाचल का रुख कर लेता था। इन हारे हुए राजाओं ने हिमाचल के छोटे-सामंती शासकों को हरा कर या उन से जमीनें खरीद कर अपने राज्यों की नींव रखी और पूरे हिमाचल में अपने राज्य कायम किए। इसी दौरान सुकेत पर बंगाल से भाग कर आए गौर वंश के सेन शासकों ने सुकेत इलाके के राणाओं व ठाकरुओं को हरा कर अपना शासन स्थापित किया।

वीर सेन ने छोटे शासकों पर हमला किया और सतलुज के आसपास के इलाके को जीत लिया। कंडीघाट के ठाकुर ने कोई विरोध नहीं किया। इसके बाद सरही के ठाकुरों ने भी हाथ खड़े कर दिया चांदमारी थाना, गौहर और पांगना इलाका इसके अंतर्गत आता था। ठाकुर ने राजा से अपील की वह हरियारा के ठाकुर पर भी हमला करे। यह सुन कर ठाकुर भाग गया और वहां पर राजा ने महल बनाया जिसको टिक्कर कहा जाता है। सरही इलाके में 5000 फुट ऊंची जगह देख कर बीर सेन पांगना को अपनी राजधानी बनाया।

सेन वंश के सुकेती राजाओं ने पांगना में ऐतिहासिक किले का निर्माण करवाया जिसके बीचों-बीच आज महामाया मंदिर है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह किस सन में बना था लेकिन प्रतीत होता है कि किला का निर्माण राजधानी बनने के साथ ही शुरू हो गया था। सुकेत रियासत में इस तरह के 18 किले थे लेकिन वह सब खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। सबसे प्रमुख किला पांगना में भी बस महामाया मंदिर ही देखने योग्य बचा है। बाकि किले की दीवारें, बुर्ज, बावड़ियां, राजा का महल सब जमीदोज हो चुके हैं।

सुकेत रियासत के इतिहास के विशेषज्ञ और पूरात्तत्व जागरुकता पुरुष्कार विजेता जगदीश शर्मा बताते हैं कि किले की परीधी 825 मीटर होती थी। बीच में महामाया मंदिर स्थापित है जो कि भवन-निर्माण कला का अद्भुत नमूना है। यह छह मंजिला भवन है जो केवल पत्थर और लकड़ी से ही बना है। इसमें सीमेंट या किसी तरह की गारा, मिट्टी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसकी उम्र लगभग 1300 वर्ष है। फिर भी आज तक कोई भूकंप या प्राकृतिक आपदा इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकी है। न केवल इसका धार्मिक महत्व है बल्कि इसका पूरातात्विक महत्व भी है। किले की दीवारें लगभग 60 मीटर ऊंची थी जिस पर चढ़ना नामुमकिन होता था।

रणनीतिक दृष्टिकोण से पांगना किला और उसके स्थान का चयन अद्भुत है। पूर्व की तरफ पांगणा खड्ड किले की सुरक्षा करती है वहीं पश्चिम में पहाड़ स्थित है। दक्षिण और उतर में मैदान है। किले की मजबूती का अंदाजा इस से लगाया जा सकता है कि किले की दिवारों की मोटाई एक से अढाई मीटर तक चौड़ी है। किले के चारों तरफ बुर्ज बने हुए थे जिस पर खड़े तीरंदाज, तोपची, बंदूकों वाले सुरक्षा करते थे। किले के अंदर जाने के लिए सात दरवाजों को पार करना पड़ता था। किले का पहला दरवाजा जहां से शुरू होता था वहां शिवजी का मंदिर है। मान्यता है कि यहां पर भीम और हिडिंबा की शादी हुई थी। किले के दरवाजे इतने बड़े थे कि जब वह खुलते थे तो उसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई देती थी। मान्यताओं के अनुसार जब दरवाजा खुलता था तो सामने की पहाड़ी से जरूर एक पत्थर गिरता था।

मंदिर में स्थित है एतिहासिक महुनाग का मंदिर और जेल-किले के मुख्य दरवाजे के पास बगिल ऐतिहासिक माहुनाग का मंदिर है और उस मंदिर के नीचे जेल है जिसमें कैदियों का रखा जाता था। जेल बिना दरवाजों की है। छत से ही कैदियों को जेल में धकेल दिया जाता था और केवल उतना ही स्थान खुला रहता था जिस से कि उनको भोजन दिया जा सके। माहुनाग मंदिर का इतिहास बताते हुए जगदीश शर्मा जी कहते हैं कि मुगल बादशाह ने जब सुकेत के राजा श्याम सेन को बंदी बना लिया था तो मधुमक्खी के रूप में माहूनाग देवता ने राजा को दर्शन दिए थे कि वह आजाद हो जाएगा। तब राजा ने आजाद होते ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था।

सुकेत सत्यग्रह के दौरान किले को गिरा दिया गया था-1948 में प्रजा मंडल आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने जब सुकेत रियासत की भूतपूर्व राजधानी पांगणा पर कब्जा किया तो राजा के जुल्मों से तंग आई जनता ने किले को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उस समय किले का बड़ा हिस्सा टूट गया था। सुकेत रियासत भारत में विलय करने वाली पहली रियासत बनी थी और इसका सारा श्रेय यहां की क्रांतिकारी जनता को जाता है। इस विद्रोह में करसोग, त्तातापानी, पांगना, निहरी, चरखड़ी, चुराग, फिरनू, डैहर, नांज आदि तमाम इलाकों की जनता ने बढ़चढ़ कर भाग लिया था।

कभी भी गिर सकती हैं बची हुई दीवारें-किले की बुनियाद और बड़ी दीवारें अभी भी बची हुई हैं लेकिन उनकी हालात जर्जर हो चुकी है। सारी दीवारें केवल लकड़ी और पत्थरों से बनी हुई है। बरसात का पानी लगातार भरने से उनकी हालात खराब हो गई है। दिवारें फूल चुकी हैं। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो सदियों पुराना इतिहास मिट्टी में मिल जाएगा। अभी भी वक्त है कि किले का नक्शा दुबारा बनाया जाए। उस स्थान को पूरातात्विक महत्व का स्थान घोषित करते हुए सरकार उसको अपने हाथ में ले और उसका पुनर्निर्माण करे। न केवल इतिहास के सरंक्षण में बल्कि पर्यटन के लिए भी इसका बहुत महत्व है।

किले में मौजूद महामाया मंदिर परांगण कला का अद्भुत नमूना - किले में मौजूद महामाया का मंदिर अपने आप में कला का अद्भुत नमूना है। इसके निर्माण में गारा या सिमेंट का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, इसके बावजूद सदियों से मन्दिर उसी स्वरूप में मौजूद है। मंदिर छह मंजिल का है। हर झरोखे पर अलग चित्रकारी की गई है जो कि काष्ठकला का अद्भुत नमूना है। मंदिर में मौजूद बावड़ियों पर स्लेट पत्थर की अद्भूत और ऐतिहासिक मूर्तियां है। बावड़ियों से पूरे पांगना नगर को जल की आपूर्ति की जाती थी। जल की निकासी के लिए पत्थर की सिलाओं से नालियां बनाई गई थी। मंदिर और महल के लिए जल की आपूर्ति पांगणा खड्ड से होती थी इसके लिए लिए कुहल गोडण गांव के नजदीक से आती थी।

जिला परिषद सदस्य श्याम सिंह ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पांगना को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। आसपास के तमाम बड़े स्थानों पर इसके लिए साईन-बोर्ड लगाए जाएं और इसके सरंक्षण के लिए उचित राशि सरकार या पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की जाए।

एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर ने पांगना किले की समस्याओं कहा कि पूरातात्विक और एतिहासिक स्थल घोषित करना या उसके लिए उचित राशी आदि मुहैया करवाना कला व सांस्कृतिक विभाग मंडी के अंतर्गत आता है एसडीएम कार्यालय करसोग की तरफ से इस बारे में विभाग को लिखा जाएगा ताकि इसका सरंक्षण व संवर्धन हो सके। ऐसी ऐतिहासिक इमारतों का रखरखाव बहुत जरूरी है।

प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रयासरत:जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य से राज्य सरकार किसान संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण, कृषि विविधिकरण योजनाओं को लागू करने और मूल्यवर्धन आदि पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री

धर्मशाला में फसल विविधिकरण का किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यशाला का आयोजन प्रदेश के कृषि विभाग ने किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश किसान लघु एवं सीमांत हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने कृषि विविधिकरण के लिए पांच जिलों में 'जीका' को एक ऋण परियोजना प्रस्तावित की है। इसके लिए फरवरी, 2011 में समझौता किया गया था, जिसकी कुल परियोजना लागत 321 करोड़ रुपये है और इसमें से 286 करोड़ रुपये के रूप में है।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य कृषि विविधिकरण के माध्यम से सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना, सीमांत एवं लघु किसानों की आमदनी में वृद्धि, सिंचाई के लिए अधोसंरचना स्थापित करना, विपणन, खेतों तक सड़क सुविधा और कृषि विकास संस्थाओं की स्थापना है। इस परियोजना को जीका के तकनीकी सहयोग परियोजना (टीसीपी) के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधा प्राप्त होने और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि से किसानों की आय बढ़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत कृषि विविधिकरण योजना का कार्यान्वयन प्रगति पर है और अधिकांश स्थानों पर संग्रहण केंद्रों के निर्माण, सड़कों की पहुंच, सोलर पंपिंग प्रणाली, लघु सिंचाई सुविधाओं, पॉली हाउस, केंचुआ खाद इकाइयों आदि का कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य शीघ्र ही पूरा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना की सफलता के लिए सिंचाई व्यवस्था की योजना, निष्पादन और रख-रखाव के लिए सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कृषण विकास संस्थाएं बाड़बंदी और पानी के बिलों को लेने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में गैर मौसमी सब्जी उत्पादन के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार ने 59 मंडियों का निर्माण किया है, ताकि किसानों को उनके उत्पादन के बेहतर दाम मिल सके। मंडियों तक किसानों की पहुंच सुगम बनाने के लिए और मंडियों के निर्माण की आवश्यकता है और इन्हें राष्ट्रीय कृषि मार्केट से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं में पॉली हाउस उत्पादन को जोड़ा है, ताकि किसानों को गुणात्मक पौधे प्रदान किए जा सकें। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयोगी मशीनरत जैसे पावर विडर आदि भी कृषि विकास संस्थाओ के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीका परियोजना के 1104 करोड़ रुपये के दूसरे चरण को निधिकरण के लिए प्रस्तुत किया गया है, जो राज्य के सभी 12 जिलों में कार्यान्वित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने सौर बाड़बंदी परियोजना आरंभ की है।

जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर कई स्मारिकाएं और प्रकाशनों का विमोचन किया।

कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मारकण्डा ने कहा कि इस कार्यशाला के दौरान तीन तकनीकी सत्रें में उच्च और टिकाउ उत्पादन प्रणाली के लिए जलवायु स्मार्ट विविध खेती, किसान संगठनों के माध्यम से किसानों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, संयुक्त परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए स्वयं सहायता समूह और फसलों के उत्पादन व उनके मंडीकरण के तालमेल की श्रृंखलाओं आदि पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी को संबल देने में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है, जिसमें जीका महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग ऐजेंसी (जीका) के भारत में तैनात मुख्य प्रतिनिधि मात्सुओमोतो कात्सुओ समारोह में मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जीका हिमाचल सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है, ताकि राज्य में जीका परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मशरूम की एक नई किस्म 'शीटेक' राज्य में प्रचलित की गई है, जिसकी अत्यधिक औषधीय और पौष्टिक गुणवत्ता है।

कृषि विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि कृषि विविधिकरण की वास्तविक क्षमता को जानने के लिए वर्ष 2007 से 2009 तक दो वर्ष के लिए अध्ययन किया गया, जिसको जीका ने सहयोग दिया।

कृषि विभाग के निदेशक डॉ. आर के कौंडल ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

शहरी विकास एवं आवास मंत्री सरवीन चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार, विधायक रवि धीमान एवं विशाल नेहरिया, हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना-जीका के मुख्य परियोजना सलाहकार डॉ. जेसी राणा और जीका के प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे।

'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कार्य समिति गठित

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने ऊना जिला में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कार्य समिति गठित की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को अध्यक्ष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव तथा ऊना जिला के उपायुक्त को सदस्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।

अन्तर विभागीय परामर्श/राज्य कार्य दल की बैठक, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए संवेदन कार्यक्रम, नवाचार व जागरूकता कार्यक्रम, निगरानी व मूल्यांकन तथा फ्लैक्सी फण्ड का संचालन इस समिति के मुख्य कार्य होंगे।

ईज ऑफ लिविंग सूचकांक और नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2019 की शुरूआत

शिमला/शैल। विभिन्न पहलों के माध्यम से शहरों में हुई प्रगति का आकलन करने और उन्हें अपने कार्य प्रदर्शन की योजना बनाने, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए साक्ष्यों के उपयोग में सशक्त बनाने के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने दो सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग (जीवन सुगमता) सूचकांक (ईओएलआई) और नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक (एमपीआई) 2019 लांच किये हैं। इन दोनों सूचियों को 100 स्मार्ट शहरों और 10 लाख से अधिक आबादी वाले 14 अन्य शहरों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। नगरपालिका के कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2019 के साथ, मंत्रालय ने पांच क्षेत्रों यानी सेवा, वित्त, योजना, प्रौद्योगिकी और शासन के आधार पर नगरपालिकाओं के कार्य प्रदर्शन का आकलन करने की मांग की है। इन्हें आगे 20 अन्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनका 100 संकेतकों में आकलन किया जाएगा। इससे नगरपालिकाओं को बेहतर नियोजन और प्रबंधन में मदद मिलने के अलावा नगर प्रशासन में खामियों को दूर करने और नागरिकों की शहरों में रहने लायक स्थिति को सुधारने में सहायता मिलेगी।

ईज ऑफ लिविंग सूचकांक का उद्देश्य स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, प्रशासन की प्रभावशीलता, शहरों के रहने लायक स्थिति के रूप में इन सेवाओं के माध्यम से सृजित परिणाम और आखिरकार इन परिणामों के लिए नागरिक अवधारणा से शुरू करके भारतीय शहरों का समग्र दृष्टिकोण उपलब्ध कराना है। ईज ऑफ लिविंग सूचकांक के प्रमुख उद्देश्य चार स्तरों अर्थात-क) साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के मार्ग दर्शन के लिए जानकारी का सृजन करना ख) स्वयं सहायता समूह (एसडीजी) सहित व्यापक विकासात्मक परिणाम अर्जित करने के लिए कार्रवाई को उत्प्रेरित करना ग) विभिन्न शहरी नीतियों और योजनाओं से अर्जित परिणामों का आकलन और तुलना करना और घ) शहरी प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के बारे में नागरिकों की अवधारणा प्राप्त करना है। ईओएलआई 2019 तीन स्तंभों - जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता और स्थिरता के बारे में नागरिकों ईज ऑफ लिविंग आकलन में मदद करेगा। इन स्तंभों को आगे 50 संकेतकों की 14 श्रेणियों में विभाजित किया गया हैं।

सभी भाग लेने वाले शहरों ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, जिनकी जिम्मेदारी यूएलबी के अंदर और बाहर विभिन्न विभागों से संबंधित डेटा अंकों को एकत्र करना और इनकी तुलना करना तथा इन्हें इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए विशेष वेब-पोर्टल में सहायक दस्तावेजों के साथ अपलोड करना है। इस पोर्टल की आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा द्वारा 19 दिसंबर 2019 को शुरूआत की गई थी।

मंत्रालय ने डेटा का संग्रह करने, तुलना करने और अपलोड करने की इस प्रक्रिया में शहरों की मदद करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। एक केंद्रीय हेल्पडेस्क मौजूद है जिसे जरूरत पड़ने पर नोडल अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया की तलाश करने-विशेष और संकेतक विशिष्ट स्पष्टीकरण और सहायता के लिए उपयोग किया जाता है। 50 से भी अधिक मूल्यांकनकर्ता हैं जो विभिन्न विभागों से जानकारी एकत्र करने के साथ-साथ आकलन प्रोटोकॉल के विनिर्देशों के लिए दस्तावेज और डेटा अपलोड करने में नोडल अधिकारियों की सहायता करते हैं।

पहली बार, ईज ऑफ लिविंग सूचकांक आकलन के हिस्से के रूप में, मंत्रालय की ओर से (जिसमें ईज ऑफ लिविंग सूचकांक के 30% अंक निर्धारित हैं) एक नागरिक अवधारणा सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह आकलन प्रकिया का महत्वूर्ण घटक है क्योंकि यह नागरिकों की अपने शहरों में जीवन की गुणवत्ता के संबंध में अवधारणा का सीधा पता लगाने में मदद करेगा। यह सर्वेक्षण, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा रहा है जो पहली फरवरी 2020 से शुरू हुआ है और यह 29 फरवरी 2020 तक जारी रहेगा। ऑफलाइन संस्करण में आमने-सामने बैठक साक्षात्कार लिये जाएंगे। यह 1 फरवरी से शुरू होगा और ऑन लाइन संस्करण के समानांतर चलेगा। इसे बड़ी मात्रा में एसएमएस मदद के साथ-साथ सोशल मीडिया में व्यापक कवरेज के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है।

उद्योग और वन मंत्री ने वित्त आयोग व केंद्र का आभार व्यक्त किया

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए राजस्व घाटा अनुदान में वृद्धि करने पर केंद्र सरकार और वित्त आयोग का आभार व्यक्त किया है।

मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2020-21 लिए 11,431 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश वित्त आयोग ने की है, जो 45 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले वर्ष वित्त आयोग के अध्यक्ष से भेंटकर प्रदेश का मामला उठाते हुए राजस्व घाटा अनुदान में वृद्धि का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने प्रभावी तरीके से राज्य का मामला वित्त आयोग के समक्ष रखा जिसके कारण 11,431 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई है।

केंद्रीय बजट से हिमाचल के किसान होंगे लाभान्वित:डा.मारकंडा

शिमला/शैल। कृषि मन्त्री डॉ. राम लाल मारकंडा ने कहा है कि केन्द्र सरकार का बजट से प्रधान मन्त्री का वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 90 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 62 प्रतिशत सीधे तौर पर कृषि से जुड़े हैं। इस बजट में किसानों व बागवानों को महत्व दिया गया है तथा किसानों के लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया है जिससे किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा।

डॉ. मारकंडा ने कहा कि किसानों को आय बढ़ाने और डीजल व कैरोसीन की निर्भरता कम करने के लिए इस वर्ष प्रधानमन्त्री कुसुम योजना के अर्न्तगत 20 लाख किसानों को सोलर पम्प दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में पहले ही सौर सिंचाई योजना के अर्न्तगत किसानों को सौर पम्प दिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस बजट में सरकार ने पारम्परिक जैविक तथा अन्य उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने की ओर कदम उठाया है। प्रदेश सरकार पहले से प्राकतिक खेती को बढावा दे रही है जिसके लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में दो लाख किसानों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

मंत्री ने कहा कि दूध, मांस व अन्य खराब होने वाली वस्तुओं की समय पर आपूर्ति के लिए किसान रेल चलाने का भी प्रावधान किया गया है, जो सराहनीय कदम है। असिंचित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली का विस्तार भी किया जाएगा जिसमें सौर पंप व प्राकृतिक खेती को भी शामिल किया जाएगा। इससे प्रदेश के किसानों को भी लाभ मिलेगा।

डा. मारकंडा ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में लगभग 1.60 लाख करोड रूपये कृषि सिंचाई और संबन्धित गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे, जो निश्चित रूप से देश अन्य राज्यों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के किसानो के लिए भी हितकारी होगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

सरकार के लिये आसान नही है मन्त्री पद भरना और धर्मशाला प्रवास पर जाना

शिमला/शैल।क्या मुख्यमन्त्री जयराम अपने मन्त्रीमण्डल के दो खाली पदों को विधानसभा सत्र से पहले भर लेंगे? क्या सरकार धर्मशाला प्रवास पर जायेगी और अगला विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा। यह

सवाल इन दिनों सचिवालय के गलियारों से लेकर सड़क तक हर जगह चर्चा में सुने जा सकते हैं। यह चर्चा इसलिये उठ रही है क्योंकि पिछले वर्ष मई में हुए लोकसभा चुनावों के परिणाम स्वरूप मन्त्रीमण्डल में दो पद खाली हुए थे जो अभी तक भरे नही गये हैं। अब डॉ. बिन्दल के विधानसभा अध्यक्ष पद छोड़कर पार्टी अध्यक्ष बनने के कारण स्पीकर का पद भी खाली हो गया है। आगे बजट सत्र आना है इसलिये नये अध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य हो गया है और इसके लिये चयन की तारीख भी तय हो गयी है। ऐसे में यह सवाल चर्चित होना स्वभाविक है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा और जब अध्यक्ष का चयन होना ही है तो क्या उसी के साथ मन्त्री पदों को भी भर लिया जायेगा या नही। इन्ही सवालों के साथ मुख्यमन्त्री का धर्मशाला प्रवास होना या न होना एक मुद्दा बन गया है। क्योंकि धर्मशाला में विधानसभा भवन बनने और धर्मशाला को प्रदेश की दूसरी राजधानी घोषित करने के बाद जनता में इसके औचित्य पर सवाल उठे हैं। यहां तक कि कांग्रेस-भाजपा के कई बड़े नेताओं ने ईमानदारी से यह स्वीकारा है कि यह सब फिजूल खर्ची है और इसे बन्द कर दिया जाना चाहिये। क्योंकि वर्ष में एक सप्ताह के लिये वहां पर विधानसभा सत्र आयोजित करना और मुख्यमन्त्री द्वारा वहां से पन्द्रह दिन या एक महीना बैठकर सरकार चलाने का सही में कोई औचित्य नही बनता। फिर अब जब दिल्ली चुनावों के लिये प्रदेश की पूरी सरकार मुख्यमन्त्री और उनके मन्त्री तथा विधायक भी करीब एक माह के लिये प्रदेश से बाहर थे तब भी प्रशासन सुचारू रूप से चल रहा था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ईच्छा शक्ति से चलती है इसके लिये ऐसे प्रवासों की आवश्यकता नही होती है। फिर दूसरा बड़ा सवाल प्रदेश के आर्थिक साधनों का आ जाता है और वहां स्थिति यह है कि जब जयराम सरकार ने पदभार संभाला था तब प्रदेश पर 46000 करोड़ से थोड़ा अधिक का कर्ज था जो अब बढ़कर 53000 करोड़ हो गया है। इस कर्ज की स्थिति को सामने रखते हुए सरकार को सारे अनुत्पादक खर्चो पर रोक लगाने की आवश्यकता हो जाती है और इसमें धर्मशाला में सरकार का प्रवास और वहां एक सप्ताह के लिये विधानसभा का सत्र आयोजित करना हर गणित से अनुत्पादक खर्चा ही बनता है। इस खर्चे पर रोक लगाना मुख्यमन्त्री का ही दायित्व है और उनकी सूझबूझ का भी यह परिचायक बन जाता है। इससे हट कर विधानसभा अध्यक्ष का चयन और मन्त्री पदों को भरना सीधे राजनीतिक प्रश्न बन जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चयन टाला नही जा सकता है यह तय है। विधानसभा अध्यक्ष के लिये वरीयता औरअनुभव दोनों एक साथ आवश्यक हैं। वैसे तो कायदे से विधानसभा उपाध्यक्ष को ही अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिये क्योंकि उसे अब तक दो वर्ष का अनुभव हो गया है। उपाध्यक्ष के बाद वरीयता के दायरे में वर्तमान और पूर्व मन्त्री आते हैं। इस समय सदन में दो पूर्व मन्त्री नरेन्द्र बरागटा और रमेश धवाला हैं जो जयराम की इस टीम में मन्त्री नही बन पाये हैं। इन दोनों को अब मन्त्रीमण्डल या स्पीकर के लिये रखा जाता है या नही यह राजनितिक दृष्टि से बड़ा सवाल होगा। डॉ. बिन्दल के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद अब डॉ. सैजल का नाम भी स्पीकर के लिये चर्चा में आ गया है और इसे बिन्दल की पसन्द माना जा रहा है। यदि ऐसा है तो अध्यक्ष नाते सैजल को स्पीकर बनवाना बिन्दल का पहला राजनीतिक फैसला होगा। इस फैसले को सिरे चढ़ाना पार्टी और हाईकमान में उनकी पकड़ की पहली परीक्षा होगा और इसमें असफल होने का जोखिम वह नही ले सकते। माना जा रहा है कि स्पीकर के चयन में जयराम बिन्दल की अनुशंसा का विरोध नही करेंगे।

यदि सैजल स्पीकर बन जाते हैं तो एक और मन्त्री पद खाली हो जाता है। ऐसे में जब तीन मन्त्री पद भरने के लिये उपलब्ध हो जाते हैं तो इन्हें तीनों सत्ता केन्द्र आपस में एक-एक बांट सकेंगे। मुख्यमन्त्री के साथ ही अब पार्टी अध्यक्ष बिन्दल भी स्वभाविक रूप से सत्ता केन्द्र हो गये हैं। अगले चुनाव उनकी भी परीक्षा होंगे। ऐसे में सरकार के हर नीतिगत फैसलें में उनका दखल बनता है और रहेगा भी। परन्तु जयराम और बिन्दल के साथ ही इस समय संयोगवश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केन्द्रिय वित्त राज्य मन्त्री अनुराग ठाकुर दोनों ही हिमाचल से हैं। इस नाते इन दोनों की नजर और दखल भी प्रदेश की सरकार तथा राजनीति पर बराबर बनी रहेगी। मन्त्री पद भरने और पार्टी के पदाधिकारियों के चयन में इनका दखल भी बराबर रहेगा यह तय है। फिर दिल्ली के चुनावों में अनुराग ठाकुर ने विवादित होने का जो जोखिम उठाया है वह उनका अपने स्तर का ही फैसला नही हो सकता। क्योंकि अनुराग का ब्यान उसी हिन्दु ऐजैन्डा का हिस्सा है जिसके गिर्द 2014 से लेकर अब तक पार्टी घूम रही है। हिन्दु ऐजैन्डा आज कितना अहम है भाजपा-संघ के लिये इसका अन्दाजा असम उच्च न्यायालय के उस न्यायाधीश के फैसले से लगाया जा सकता है जिसने

स्वत: संज्ञान लेकर एक याचिका में कहा था कि भारत को भी पाकिस्तान की तर्ज पर धार्मिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिये और यह काम मोदी ही कर सकते हैं। स्वभाविक है कि जो भी पार्टी नेता हिन्दु ऐजैन्डे पर आक्रामक लाईन लेगा उसे सरकार और संगठन में हल्के से नही लिया जा सकता। इस परिप्रेक्ष में प्रदेश में मन्त्री पद भरते समय नड्डा के साथ ही अनुराग की राय भी महत्वपूर्ण रहेगी। इस समय हमीरपुर, बिलासपुर और सिरमौर ही ऐसे जिले हैं जिन्हे मन्त्रीपरिषद में स्थान हासिल नही है। यदि सैजल स्पीकर बन जाते हैं तब सोलन भी इस श्रेणी में आ जायेगा। सैजल के स्पीकर बनने के बाद मन्त्रीमण्डल में कोई दलित मन्त्री नही रह जाता है। जनजातिय क्षेत्रों से पहले ही कोई मन्त्री नही है। इसलिये अब मन्त्री पद भरने के लिये जिलों को प्रतिनिधित्व देना और दलित वर्ग को भी सरकार में स्थान देना ऐसे मुद्दे होंगे जिन्हे आसानी से नज़रअन्दाज कर पाना संभव नही होगा। फिर मुख्यमन्त्री को भी क्षेत्र और वर्ग के आधार पर सरकार में सन्तुलन बनाने के लिये यही मौका होगा। बहुत संभव है कि अब जो मन्त्री बनाये जायें उन्हे वरियता का गणित लगाकर राज्य मन्त्री ही रखा जाये और इससे पूर्व मन्त्रियों को भी इस दौड़ से बाहर किया जा सकता है।

इस परिदृश्य में मन्त्री पद भरना और धर्मशाला प्रवास पर जाना ऐसे राजनीतिक फैसले होंगे जिनका असर सरकार के शेष बचे पूरे कार्यकाल पर पड़ेगा।

क्या हिमाचल में कांग्रेस है

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस 2017 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब तक संभल नही पा रही है। यह धारणा बनती जा रही है प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वालों की। क्योंकि 2014 से आयी मोदी सरकार के बाद से प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व अपने को संभाल नही पाया है। 2014 में प्रदेश में वीरभद्र के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। वीरभद्र उस समय आयकर का मामला झेल रहे थे जो बाद में सीबीआई और ईडी तक पहुंच गया और आज तक लटका हुआ है। भाजपा ने वीरभद्र की इस स्थिति का पूरा-पूरा राजनीतिक लाभ उठाया है। वीरभद्र की इस स्थिति के कारण ही कांग्रेस प्रदेश में कमजोर हुई क्योंकि सत्ता में बैठकर भी वह भाजपा के प्रति आक्रामक नही हो पाये। वीरभद्र के शासनकाल में प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर की एचपीसीए के खिलाफ मामले तो बनाये गये परन्तु एक भी मामले में सफलता नही मिली। केन्द्र की मोदी सरकार की ऐजैन्सीयों ने वीरभद्र के लिये यह हालात पैदा कर दिये थे कि सत्ता में बने रहना उनकी राजनीतिक आवश्यकता बन गयी थी। लेकिन इसमें वह पार्टी को आगे बढ़ाने और कांग्रेस को अपना राजनीतिक वारिस नही दे पाये। बल्कि संगठन के साथ टकराव में ही चलते रहे। टकराव की यह स्थिति यहां तक पहुंच गयी कि पार्टी अध्यक्ष सुक्खु को ही हटवाने में उनका पूरा ध्यान केन्द्रित होकर रह गया। जबकि कांग्रेस का 2017 के चुनावों में सबसे अच्छा प्रदर्शन सुक्खु के हमीरपुर जिले में ही रहा जहां पांच में से तीन सीटें कांग्रेस ने जीत ली।

वीरभद्र सुक्खु का यह टकराव चुनावों के बाद भी बरकरार रहा और लोकसभा चुनावों से पहले सुक्खु को हटाकर पार्टी की कमान कुलदीप राठौर को थमा दी गयी। लेकिन लोकसभा चुनावों में भी जिस तरह की ब्यानबाजी वीरभद्र की रही है उससे स्पष्ट था कि कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी और हुआ भी वही। लोकसभा चुनावों के बाद राठौर पार्टी को संभाल पाते उसमें कुछ नये लोगों को ला पाते तो इससे पहले ही प्रदेश ईकाई को भंग कर दिया गया। प्रदेश ईकाई को भंग करते हुए अध्यक्ष को तो बनाये रखा लेकिन शेष कार्यकारिणी को ब्लाकस्तर तक भंग कर दिया गया। राजनीतिक विश्लेषक जानते हैं कि पार्टीयों में इस तरह के फैसले एक विशेष फीडबैक की पृष्ठभूमि में लिये जाते हैं। राठौर को नियुक्त करते समय जिन नेताओं की अनुशंसा पर अमल किया गया था अब प्रदेश ईकाई को भंग करते हुए भी उन्ही लोगों की सहमति के बाद ऐसा किया गया है। क्योंकि राठौर के पदभार संभालने के बाद पार्टी में पदाधिकारी नियुक्त किये गये थे जो निश्चित रूप से अधिकांश में उन्ही की पसन्द थे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद जिस तरह से कुछ पदाधिकारियों की कार्य प्रणाली और हैलीकाप्टर के दुरूपयोग पर सवाल उठे हैं उसी सब के परिणामस्वरूप प्रदेश ईकाई को भंग किया गया है।

इस समय देश की राजनीति जिस मोड़ पर पहुंची हुई है उसमें आने वाले समय में उग्र आक्रामकता आने के साफ संकेत उभर रहे हैं। यह आक्रामकता 2014 की तरह भ्रष्टाचार और आर्थिक मुद्दों पर रहेगी यह स्पष्ट है। इस परिदृश्य में प्रदेशों से लेकर केन्द्र तक कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि भाजपा के मुकाबले में वही एक राष्ट्रीय पार्टी रह जाती है जो देश के हर गांव में सुनने, देखने को मिल जायेगी। इसी परिप्रेक्ष में हर प्रदेश में कांग्रेस को आक्रामकता की भूमिका में आना होगा। इस संद्धर्भ में जब प्रदेश कांग्रेस के पुनर्गठन की बात आती है तो निश्चित रूप से गठन के समय यह ध्यान रखना होगा कि जिन लोगों को जिम्मेदारीयां दी जायें उनके अपने खिलाफ ऐसा कुछ न हो जिस पर उन्हे ही घेर लिया जाये। इस गणित में राठौर स्वयं उसी श्रेणी में आते हैं जिनकी अपनी स्लेट साफ है। लेकिन जो लोग भाजपा के आरोप पत्रों में दर्ज हैं यदि ऐसे लोगों के हाथों में कमान दे दी जाती है तो पार्टी को अगले चुनावों में सफल बनवा पाना आसान नही होगा। इस समय नये गठन का फैसला जिस तरह से लंबित होता जा रहा है उससे यह संकेत उभर रहे हैं कि पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने अभी तक पिछली हार से कोई सबक नही लिया है।